

कार्यालय कलेक्टर बैतूल मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव  
म0प्र0शासन, राजस्व विभाग

प्र0क्र0 21 अ-82/16-17/13464

बैतूल दिनांक/4-12-2017

घोषणा

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल(हे0में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र0)	घोड़ाडोंगरी	पीपरी	1.254	बरेठा-घोड़ाडोंगरी सड़क निर्माण परियोजना हेतु ।

अनुसूची - 2


( प्रभावित धारको की सूची )

अ0क्र0	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में से	अर्जन की भूमि का रकबा हे0 में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	151	2.636	0.122	इंदल, गोरे, भूरे व0 मंगल, बलिया बेवा मंगल जाति गोंड सा0 देह
2	152	4.112	0.462	बालम, सुन्दर व0 ओझा, जाति गोंड सा0 देह
3	153	0.332	0.090	भूता, जोगी व0 बारेलाल जाति गोंड सा0 सालीढाना
	158	1.044	0.120	
4	169/1	0.840	0.245	भगिया बेवा घाड़सा, रामकिशन, शिवलाल व0 घाड़सा जाति गोंड सा0 देह
5	169/2	0.840	0.135	जबरसिंग व0 जगत जाति गोंड सा0 देह
6	169/4	0.393	0.080	मदरासिंग व0 बिरसा जाति गोंड सा0 देह
योग			1.254	

(2) चूंकि बरेठा-घोड़ाडोंगरी मार्ग सड़क निर्माण परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का पूरक अर्जन प्रस्तावित है,जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2)के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,


  
( शशांक मिश्र )

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,

पृ0क0 21 अ-82/16-17/13464  
प्रतिलिपि:-

बैतूल दिनांक 14-12-2017

- 1- उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 2- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में ) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।
- 3- सहायक महाप्रबंधक, म0प्र0सड़क विकास निगम बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन की पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 4- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित।
- 5- प्रभारी अधिकारी (नजारात शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) शाहपुर की ओर ( दो प्रतियों में ) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- तहसीलदार घोड़ाडोंगरी की ओर (तीन प्रतियों में ) में अग्रेषित। एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 9- सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत पीपरी तहसील घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित।

  
कलेक्टर बैतूल एवं समूचित सरकार  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

15/12/17